

# बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001  
(पंजीयन सं०-633/2003)

Website: basabihar.in, E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,

\* सुरेश कुमार शर्मा

मो० 943-1818346 / 9431479774

महासचिव,

\* सुशील कुमार

मो० 9431091417

पत्रांक : 07



उपाध्यक्ष :-

संयुक्त सचिव :-

कोषाध्यक्ष :-

संयुक्त कोषाध्यक्ष :-

\* सआदत हसन मिनटो

\* राजेन्द्र राम

\* राजयनन्द वार्डियार

\* अनिल कुमार

\* चन्द्र शेखर सिंह

\* विनोद आनन्द

दिनांक 22/2/2015

दिनांक 22.02.15 को केन्द्रिय कार्यकारिणी की हुई बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम सदस्यों को संघ भवन निर्माण की स्थिति एवं सदस्यों से प्राप्त सहयोग राशि की जानकारी दी गई। आवश्यकता के अनुरूप सहयोग राशि प्राप्त नहीं हुई है। लगभग 22 जिलों से राशि अप्राप्त है। इस कार्य हेतु बैच बार टीम का गठन कर राशि उपलब्ध कराने का प्रयास करने पर विचार किया गया साथ ही सभी सदस्यों से उत्साहपूर्ण राशि देने एवं अन्य सदस्यों को प्रेरित करने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त प्रक्रिया विधिक कोष एवं वार्षिक चन्दा के संदर्भ में भी अपनाने पर विचार किया गया। आजीवन सदस्यता ग्रहण करने पर भी बल दिया गया।

2. संघ द्वारा दायर वादों की विवरणी इस प्रकार है :-

क्रमांक	विषय	वाद संख्या
1	Bunching का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में।	21681 / 13
2	PB-2 GP-5400 से PB - 3 GP 5400 दिये जाने को प्रथम MACP माने जाने के संबंध में।	24341 / 13
3	40,41,42 को 10 वर्ष की सेवापूरी होने पर प्रथम MACP नहीं दिये जाने के संबंध में।	888 / 14
4	39th Batch को ACP में वर्ष 2008 का वेतनवृद्धि नहीं देने के संबंध में।	2670 / 13
5	विशेष कार्य पदाधिकारी / उप सचिव / अपर सचिव / विशेष सचिव के समकक्ष पद पर पदस्थापित पदाधिकारी को विशेष वेतन नहीं देने के संबंध में।	2259/14 <del>2670/13</del>
6	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा खाद्यान्न की राशि वसूलने के संबंध में प।	IA 7727 / 14
7	सेवा संपुष्टि के समय बिहार परीक्षा नियमावली 24 के प्रावधान के तहत Notional Increment नहीं देने के संबंध में।	19165 / 14
8	M.J.C. in 888/14	Filed on 25-11-2014

उपरोक्त पर विस्तृत चर्चा की गई तथा सदस्यों को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। ~~सितंबर 2014 से जनवरी 2015 तक सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के निम्न प्रकार है :-~~

9/2/15

3. प्रोन्नति अवरुद्ध होने के संदर्भ में बताया गया कि समादेशवाद संख्या-19114/2012 में माननीय उच्च न्यायालय आदेश दि0-05.08.2014 में यह आदेश है कि Operation of Resolution Annexure-13 (सामान्य प्रशासन का ज्ञापांक-11635 दिनांक 21.08.12) Shall remain stayed परन्तु सामान्य प्रशासन के पत्रांक-12118 दिनांक-12.08.2014 द्वारा प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इस आदेश से ऐसे अनु0 जाति/जनजाति के साथ-साथ अन्य जातियों की भी प्रोन्नति पर रोक लग गई है जिन्हे अनुसूचित जाति/जनजाति को परिणामी वरीयता के साथ-साथ प्रोन्नति दिए जाने से भी प्रोन्नति होती। प्रोन्नति समिति की बैठक होने पर रोक लगाना न्यायोचित नहीं हैं। प्रोन्नति पर रोक होने से पदाधिकारियों में असंतोष व्याप्त है।

चूकि मामला न्यायालय में है ऐसे में न्यायादेश दिनांक -05.08.14 के आलोक में संघ का सुझाव है कि अनु0 जाति/जनजाति को परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति मानकर उतने पद सुरक्षित कर अनु0 जाति/जनजाति/अन्य सभी को प्रोन्नति दी जाए। न्यायादेश के आने पर सुरक्षित रखे गये पदों पर विचार किया जा सकेगा। ऐसा होने पर प्रोन्नति में अवरोध समाप्त हो जाएगा।

उपरोक्त पर अनुरोध किया जा चुका है।

4. एम0ए0सी0पी0 पाये वेतनमान के पदाधिकारी को उस पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा की गई। बताया गया कि संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वर्तमान में 34, 35, 36, 37वीं बैच के पदाधिकारी को MACP के तहत अपर समाहर्ता का वेतनमान 7600 ग्रेड पे प्राप्त हो चुका है जिन्हें अपर समाहर्ता के पद पर पदस्थापन करने से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा, वही 38, 39वीं बैच के पदाधिकारी को उप सचिव स्तर का ग्रेड पे 6600 प्राप्त है इन्हें उपसचिव स्तर के पद पर पदस्थापित करने से भी अतिरिक्त वित्तीय अतिरिक्त वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा ऐसा न कर मूल कोटि के पदाधिकारी जिनका ग्रेड पे 5400 है को जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला प्रबन्धक राज्य खाद्य निगम/जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर भेदभाव पूर्ण से पदस्थापित किया जा रहा है जिससे एक ओर वरीयता सोपान की मर्यादा को ठोस पहुँचता है वही दूसरी ओर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के बीच आपसी दुर्भावना भी व्याप्त होती जा रही है।

संघ को आशा है कि उपरोक्त पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

5. बि0प्र0से0 संवर्ग में स्वीकृत बल 851 के विरुद्ध लगभग 350 पदाधिकारी अधिक हैं, जो सभी मूल कोटि में हैं, जिसके कारण मूल कोटि के पदाधिकारी का प्रोन्नति अवरुद्ध है। बताया गया कि संघ ने सरकार से प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पद/गैर-संवर्गीय पद के विरुद्ध प्रोन्नति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। संघ को विश्वास है कि इस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

6. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन के साथ ही कार्यपालक दण्डाधिकारी का स्वीकृत पद 294 समाप्त कर राजस्व एवं ग्रामीण संवर्ग के पदाधिकारी के लिए क्रमशः 147-147 कार्यपालक दण्डाधिकारी का पद सृजित किया गया तो फिर 101 अपर अनुमंडल पदाधिकारी का पद सृजित करने का क्या औचित्य है इसे स्पष्ट किया जाना भी अपेक्षित है। संघ द्वारा इस पर विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

7. सितम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 तक सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी निम्न प्रकार है :-

सितंबर 14 में बि0प्र0से0 के सेवानिवृत्त पदाधिकारी

1. श्री शशि भूषण पाठक - 28वी अपर सचिव वित्त विभाग, पटना।
2. श्री काशीनाथ सिंह - 28वी विशेष सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
3. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा - 32वी आप्त सचिव, विधान पार्षद
4. श्री अर्जुन प्रसाद साह - 32वी अपर समाहर्ता, बेतिया
5. श्री सूर्य नारायण सिंह - 32वी अपर समाहर्ता, लखीसराय

अक्टूबर 14 में बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी।

1. श्री राजीव रंजन सिन्हा - 28वी विशेष सचिव, गृह विभाग, पटना।

नवम्बर 14 में बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी।

1. श्री राज किशोर प्रसाद - 32वी अपर समाहर्ता, अरवल।
2. श्री जयनाथ महतो - 33वी अपर समाहर्ता, सहरसा।

दिसम्बर 14 में बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी।

1. श्री उमेश कुमार वर्मा - 26वी अपर सचिव निदेशक, सैनिक कल्याण, पटना।
2. श्री कमल नारायण सिंह - 28वी सचिव गृह विभाग, पटना।
3. श्री वीरेन्द्र प्रताप - 28वी सचिव, आजीविनी, पटना *अपुनर्*
4. श्री रावी रंजन - 30वी संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, पटना।
5. श्री पारस नाथ सिंह - 33वी ए0डी0एम0, विभागीय जाँच, सीतामढ़ी

जनवरी 15 में बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी।

1. श्री शमीम अहमद - 27वी उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।
2. श्री विजेन्द्र झा - 28वी विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।
3. श्री अरविन्द कुमार तिवारी - 29वी अपर सचिव, परिवहन विभाग, पटना।
4. श्री मोहन प्रसाद - 29वी निदेशक, खाद्य उपभोक्ता निदेशालय, पटना।
5. श्री शैलेन्द्र कुमार - 31वी विशेष सचिव, पंचायती राज्य विभाग *अपुनर्*
6. श्री कपिलेश्वर विश्वास - 35वी अपर सचिव, नगर विकास विभाग, पटना *अपुनर्*
7. श्री शेषनाथ सिंह - 36वी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय
8. श्री राजेश्वर झा - 36वी निदेशक, एन0ई0पी0, कैमूर

*समान्यतः वैचक की वर्षावधी समाप्त की गयी। उपरोक्त हप्त पदाधिकारी*

*वास का प्रतीक निम्न तम्बाग स्वरूप प्रदात किया गया।*

*अन्त में सधनकाद कृष्ण की कार्यवाही समाप्त की गई।*

*(29/12/2015)*  
(सुशील कुमार)  
महासचिव

*(29/12/15)*  
(सुरेश कुमार शर्मा)  
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :- सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सुशील कुमार  
(सुशील कुमार)  
महासचिव